(५१)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भू.रा./2017/2284 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-5-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 417/अपील/2015-16.

---

1. बबन पिता डोगर गुर्जर
2. लखन पिता डोगर गुर्जर
3. अम्बालाल उर्फ पप्पू पिता डोगर गुर्जर
   निवासीगण ग्राम बंझर
   तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. अनिल पिता अम्बालाल
2. संजय पिता अम्बालाल
   निवासीगण ग्राम बंझर
   तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री महेन्द्र सिंह राठौर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अरूण मानकर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 31-5-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, भीकनगांव जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बंझर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 580/2 रकबा 1.497 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर आने-जाने हेतु आवेदकगण के लिए परम्परागत रास्ता शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 438/1 से होकर नाले से उतरने के बाद अनावेदकगण की भूमि के उत्तर दिशा की मेड़ से जाता है । अनावेदकगण द्वारा पत्थरों की पाल लगाकर आवेदकगण का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक

02/अ-13/2010-11 दर्ज कर दिनांक 14-11-11 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया गया कि आवेदकगण शासकीय रास्ता सर्वे क्रमांक 438/1 के समाप्त होने तक पहुँचकर नाले किनारे अपनी बैलगाड़ी छोड़ बैलों को मुस्का लगाकर तथा अपनी फसल व कृषि यंत्र मानव श्रम से लाने-ले जाने का कार्य सर्वे क्रमांक 580/1 से कर सकते हैं । आवेदकगण को यह भी स्पष्ट आदेश दिया गया कि अनावेदकगण की खड़ी फसल से बैलगाड़ी अथवा ट्रेक्टर नहीं ले जायें । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव जिला खरगोन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-5-2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-9-2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 4024-दो/13 में दिनांक 3-3-16 को आदेश पारित कर, अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31-5-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश स्थिर रखते हुए आवेदकगण की अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि उन्हें अपनी भूमि पर आने-जाने के लिए प्रश्नाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों का परिशीलन किये बगैर विधि का त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए विवादित आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि उमाकांत से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और विक्रेता उमाकांत द्वारा प्रश्नाधीन रास्ते का परम्परागत रूप से उपयोग करता रहा है, अत: आवेदकगण भी उसी रास्ते का उपयोग करेंगे, इस बात का उल्लेख पंजीकृत विक्रय पत्र में किया गया है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्तमान में कृषि कार्य में लगने वाले आधुनिक संसाधन या कृषि उपकरणों को मानव श्रम से लाना-ले जाना संभव नहीं है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि इस

न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरांत अपर आयुक्त को प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का परिशीलन कर, विधि की विवेचना करते हुए विधिवत आदेश पारित कर आवेदकगण को कृषि कार्य में लगने वाले उपकरणों के लाने-ले जाने हेतु रास्ता खुलवाने का आदेश देना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष विधि विरूद्ध हों तो, उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 2006 आर.एन. 35, 2006 आर.एन. 51, ए.आई.आर. 1992 सु.को. 1604 एवं ए.आई.आर. 1994 सु.को. 532 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन रास्ते की मांग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14-11-2011 को प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में रास्ता का उपयोग बैलगाड़ी शासकीय रास्ता सर्वे क्रमांक 438/1 तक ले जाकर नाले के पास बैलगाड़ी छोड़कर, बैलों को मुस्का लगाकर, मानव श्रम से उक्त रास्ते का उपयोग करने के आदेश दिये गये थे तथा बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि न ले जाने एवं सर्वे क्रमांक 580/1 से केवल पैदल रास्ते का उपयोग करने के संबंध में स्पष्ट आदेश दिये गये थे । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-5-12 व 9-7-13 दो बार निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31-5-17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

2. तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होते हुए भी आवेदकगण द्वारा बगैर किसी विधिक आधारपर यह निगरानी प्रस्तुत की है । उल्लेखनीय है कि निगरानी मात्र वैधानिक (कानूनी) बिन्दुओं पर सुनवाई योग्य है, न कि तथ्यों के आधार पर । संदर्भित तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में किसी भी प्रकार की वैधानिक (कानूनी) त्रुटि नहीं है ।

3. आवेदकगण ने निगरानी में अपील के आधार लिखे हैं तथा तथ्यों के संबंध में याचना की गई है, जबकि पुनरीक्षण में विधि के बिन्दुओं पर ही सुनवाई का मुख्य आधार रहता है । इस तरह विधिक बिन्दुओं के अभाव में तथ्यों की विषयवस्तु पर इस निगरानी में किसी भी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा । ऐसी स्थिति में यह

निगरानी विधिक के बिन्दुओं के आधार पर नहीं होने से तथ्यों एवं सुनिश्चित रास्ते के उपयोग, उपभोग करने के आदेशों को जिस तरह से निम्न न्यायालय ने दोनों पक्षों के हितों को समन्वित करते हुए जहां एक ओर रास्ते के पैदल उपयोग करने तथा अनावेदकगण की कृषि भूमि के कृषि कार्य में बाधा न हो, जो समन्वय करते हुए आदेश पारित किया है, वह तथ्य विधि व प्रक्रिया अनुसार हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । अत: तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदशों को यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में प्रश्नाधीन रास्ते का उल्लेख है । निम्न न्यायालयों ने मात्र पैदल आने-जाने के लिए रास्ता दिया गया है, जो कि नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि साक्ष्यों से प्रश्नाधीन रास्ता होना प्रमाणित है । ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालयों को आवेदकगण को कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र आदि लाने-ले जाने लायक रास्ता दिया जाना चाहिए था । अत: निम्न न्यायालयों के आदेशों में संशोधन करते हुए आवेदकगण के पक्ष में पैदल रास्ता के स्थान पर कृषि यंत्र लाने-ले जाने लायक चौड़ा रास्ता देने के आदेश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर